



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना पैलानी पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पैलानी पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि कल दिनांक 24.07.2025 को थाना थाना पैलानी क्षेत्रांतर्गत ग्राम खट्टिहाकला में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पैलानी में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त मुखबिर की सूचना पर कालेश्वर तिराहे के पास से गिरफ्तार गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. धीरज उर्फ बजरंगी प्रजापति पुत्र श्रीपाल प्रजापति निवासी ग्राम खट्टिहाकला थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 182/25 धारा 103(1) बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 पैलानी श्री सुखराम सिंह
2. उ0नि0 श्री राम आधार सिंह
3. कां0 निहाल रजा
4. म0कां0 अनीता यादव